

हिमाचल प्रदेश सरकार  
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक  
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

संख्या: इडीएन(टीई)ए(3)1/2009, तारीख शिमला -02

25-10-2011.

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक छारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीयों), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से सलग्न उपाबन्ध -'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीयों), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।  
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश छारा,

प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: इडीएन(टीई)ए(3)1/2009, तारीख शिमला -02

25-10-2011.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
2. निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिं० प्र० सुन्दरनगर जिला मण्डी -174401.
3. सचिव, हिं० प्र० लोक सेवा आयोग को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिं०प्र० शिमला 05 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
5. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव( विधि) हिं०प्र० सरकार, शिमला-02
6. वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजभाषा खण्ड -11 विधि विभाग, हिं०प्र० सचिवालय।

विशेष सचिव( तकनीकी शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।



हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी), वर्ग- 1 (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम	प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी)
2.	पदों की संख्या	112 (एक सौ बारह)
		1. सिविल इंजीनियरिंग = 22 2. मैकैनिकल इंजीनियरिंग = 27 3. इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग = 23 4. औटोमोबाइल इंजीनियरिंग = 09 5. इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कॉम्प्युकेशन इंजीनियरिंग = 25 6.इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग = 06
3.	वर्गीकरण	वर्ग-1 (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	i) नियमित पदधारियों के लिए ₹15600-39100 जमा ₹5400 ग्रेड पे। ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ स्तम्भ संख्या 15-क' में दिए गए ब्लौरे के अनुसार ₹ 21000/- प्रतिमास
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	45 वर्ष या इससे कम।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थे या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत् ल्याक्षितयों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी।

परन्तु यह ओर कि यदि तदर्थे आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति को ताणेख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थे या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उम्री आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जाएगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।
  2. अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।
  7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ :
  8. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोत्तिकी दशा में लागू होगी या नहीं
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| <u>अनिवार्य अर्हता :-</u>   | <u>अधिकारी अर्हता :-</u> |
| अभियान्त्रिकी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नानतकोत्तर की उपाधि या इसके समतुल्य।                        |                          |
| <u>वांछनीय अर्हता :-</u>  |                          |
| हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रियों, शातेयों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। |                          |
| आयु   | लागू नहीं।               |
| शैक्षिक अर्हता  | लागू नहीं।               |

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति : सीधी होगी या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : शातप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-के में दी गई उपलब्धियों प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11. प्रोन्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा : लागू नहीं।
12. यदि विभागीय प्रोन्ति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना : जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के के लिए अपेक्षा : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना चाहिए।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचित समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम या हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए।

**15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर :** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी:-

**(I) संकल्पना**

(क) इस पॉलीसी के आधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यवित की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:

प्रधान सचिव/सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वितीय पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

**(II) संविदात्मक उपलब्धियां:**

संविदा के आधार पर प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) को ₹ 21000 की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदर्भ की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 630/- की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

**(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:**

प्रधान सचिव/सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

**(IV) चयन प्रक्रिया:**

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समाप्ति :**

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अथात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**(VI) करार:**

अन्यथीं को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपबन्ध-ख के अनुसार करार ठस्ताक्षरित करना होगा।

**(VII) निबन्धन एवं शर्तें:**

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 21000/- की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 630/- (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे तरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा पूणतया अस्थाई आधार पर हाँगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक सांचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एलटीसी, इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसुति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः हीं संविदा का पर्यावरण (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (इयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायों से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गमनती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुप्रयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्ता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदों कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यान्त्र भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों को दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0, एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशन नियम तथा आचारण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णीत उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

#### 16. आरक्षण

सेवा में नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछले वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी।

#### 17. विभागीय परीक्षा

सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय—समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

#### 18. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचिन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों)के प्रवर्ग या पद (पदों)की बाबत शिथिल कर सकेगी।

प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) (पद का नाम ) एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम ) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रूप ।

यह करार श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की सचिवालय के मध्य \_\_\_\_\_ (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख \_\_\_\_\_ को किया गया ।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) (पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है ।

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) के रूप में \_\_\_\_\_ से प्रारम्भ होने और \_\_\_\_\_ को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीये पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अथोत् \_\_\_\_\_ दिन को स्वयमव हो पर्याप्त (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

परन्तु संविदा की अवधि में वषोनुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवोकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसका सांवेदा को अवैध को नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार को समेकित संविदात्मक रकम अथोत् ₹ \_\_\_\_\_ प्रतिसास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि सांवेदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) को किसी भी प्रकार के अन्य कोई अवकाश अनुशासा नहीं होगा । वह विकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पाच तर्ष का कायेकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (समाप्त) हो जाएगा । प्रथम पक्षकार कर्तव्य (डिस्ट्रीटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक वेतन का हकदार नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायों से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भात्स्था प्रसर होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगा। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त ग्राध्यापक इंजीनियरिंग (बहुतकनीकों का यदि अपने पदों कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी को वेतनमान के त्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कमचारी सामूहिक बोमा योजना के साथ-साथ इ०पी०एफ०/जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्षात्कर्ता प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार न साक्षात् को उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....  
(नाम व पूरा पता )

2.....

.....  
(नाम व पूरा पता )

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

.....  
(नाम व पूरा पता )

2.....

.....  
(नाम व पूरा पता )

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)